

2018/00387

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम विमला सहाय पं० वीरवल मोमया दाऊद  
 किसम मुकदमा दुरुस्ती मुकदमा नं. 144  
12/6/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/ 324 दिनांक 12/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोमया में प्रार्थीगण के नाम चक <u>विमला सहाय</u> की जमाबन्दी सम्बन्ध 2012 के खाता नं. 45 में खातेदार <u>विमला सहाय पं० वीरवल मोमया</u> अंकित है। जिसका नाम <u>विमला सहाय</u> है। जिसकी <u>विमला सहाय पं० वीरवल मोमया</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशांषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 12/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>विमला सहाय</u> के खाता नं. 45 में दर्ज खातेदार <u>विमला सहाय पं० वीरवल मोमया</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर  
 राजस्व लोक अदालत  
 रायसिंहनगर  
 न्याय आपके द्वार-2018  
 कैम्प कोर्ट दाऊद  
 उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर